

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)

दाण्डिक प्रकरण क0-109 / 12
संस्थित दिनांक 29 / 02 / 12
फाईलिंग नं0 233504000162012

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

अर्जुनसिंह पिता धौकलसिंह तोमर, उम्र 40 वर्ष,
 जाति ठाकुर, पेशा ड्रायवर, नि0 भीमनगर बोड़खी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0),

-----अभियुक्त.

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-09 / 02 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त अर्जुनसिंह के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 279, 304 "ए" के तहत अभियोग है कि दिनांक 25/02/12 के दिन के 10 बजे ग्राम खानापुर कनौजिया के बीच खापा रोड के पास आरक्षी केन्द्र आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 बस क्रमांक सी.जी.-11-सी/8792 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। आपने उक्त बस को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक संचालित करते हुये मृतक अमरलाल को ठोस मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वध की कोटि में नहीं आती।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25/02/12 को सत्कार बस क्रं. सी.जी.11.सी./8792 से आमला से लालावाड़ी जा रहा था कि ग्राम खानापुर से आगे कनौजिया के पहले खापा जोड़ के पास बस के ड्रायवर द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक बस क्रं. सी.जी. 11 सी/8792 को चलाकर सायकल से जा रहा उसके गांव का अमर पिता मंसूक मोड़क निवास लालावाड़ी को ठोस मार दिया जिससे उसके सिर पर चोट आई है एवं ठोस मारने से बदन में अंदरूनी चोट आई है। घटना के समय उसकी पत्नि सुनिता और 8-10 सवारी बस में बैठी थी उन्होंने ने भी पूरी घटना देखी है।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-3 तैयार किया गया। उसके आधार पर अपराध क्रं0-75/12 धारा-279,337,304'ए' भा0द0वि की अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 25.02.12 को मर्गइंटीमेशन प्र0पी0-10 तैयार किया गया। दिनांक 25.02.12 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0-7 के अनुसार सम्पत्ति जप्त की गई। आहत का मेडिकल मुलाहिजा किया गया। दिनांक 26.02.12 को शव परीक्षण प्र0पी0-9 बनाया गया। दिनांक 25.02.12 को घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-4 तैयार किया गया। दिनांक 26.02.12 को नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0-1 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। दिनांक 25.02.12 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-8 तैयार किया गया। अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

1— “आपने दिनांक 25/02/12 के दिन के 10 बजे ग्राम खानापुर कनौजिया के बीच खापा रोड के पास आरक्षी केन्द्र आमला, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 बस क्रमांक सी.जी.-11-सी/8792 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?”

2— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त बस को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक संचालित करते हुये मृतक अमरलाल को ठोस मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वध की कोटि में नहीं आती?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्र0 1, 2 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी डॉ0 जगदीश धोटे (अ0सा06) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 26/02/12 को ही मृतक अमर वल्द मंशूख निवासी लालावाड़ी आमला को आरक्षक लक्ष्मण क्रं. 68 थाना बैतूल द्वारा शव परीक्षण हेतु लाया गया। उक्त दिनांक को ही सुबह 10:25 बजे पर देखा गया कि शव में पूरी तरह अकड़न थी मृतक पुरुष शव पी0एम0 टेबल चित था जिसने नीले पेट शर्ट एवं और अंडर बनयान पहनी थी मुंह में झोंक था और पुतलियां फैली थी। चोट क्रं. 1 बांये बाहरी कान में सिला हुआ घाव खून के साथ था, चोट क्रं. 2 सीधे कंधे पर काले रंग की घसड़ (6 गुना 6 से0मी0), चोट क्रं. 3 पेट के दांयी ओर काले रंग की घसड़ (8 गुना 1 से0मी0), चोट क्रं. 4 सीधे घुटने पर छोटी घसड़, चोट क्रं. 5 सीधे पैराईटो

ऑक्सीपीटल ऐरिया में सीला हुआ घाव (5 से0मी0 लम्बा) था। आगे इस गवाह ने अपने आंतरिक परीक्षण में खोपड़ी खोलने पर बड़ी मात्रा में खून होना पाया गया था, सीधी पैराईटो ऑक्सीपीटल ऐरिया में फैंक्चर पाया गया था। दांये फेफड़ा खोलने पर उसमें रक्त जमा हुआ पाया गया था पेट में अदपचा भोजन एवं दृव्य पाये गया था छोटी आत में पचा हुआ भोजन गैस एवं बड़ी आत में मल पदार्थ पाया गया था। छाती के दांयी ओर पहली रिब में फैंक्चर पाया गया था, चोट की अवधि और कारण के संबंध में मत उपरौक्त चोटे मृत्यु पूर्व की होना प्रतीत होती है। मृत्यु का कारण सिर पर लगी गंभीर चोट जिससे अत्यधिक रक्त स्त्राव परिणाम स्वरूप शौक होना जो कि शव परीक्षण 24 घंटे के भीतर होना प्रतीत होती है उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 9 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह के मृतक के शरीर में शव परीक्षण के समय पाई गई चोट एवंशरीर की अवस्था का भी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है। इस गवाह के साक्ष्य की विश्वसनीयता उसकी प्रतिपरीक्षा में प्रभावित नहीं हुई है। इस प्रकार डा0 जगदीश धोटे अ0सा0 6 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आहत अमरलाल की मृत्यु जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती, कारित हुई थी।

7— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय है कि क्या अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक वाहन बस को चलाकर मृतक अमरलाल की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। यहां मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि क्या घटना दिनांक को अभियुक्त वाहन बस को चला रहा था, और उसी की उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई।

8— अभियोजन साक्षी गुलाब (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह आमला से सत्कार बस में बैठकर आमला से लालावाड़ी जा रहा था आरोपी बस चला रहा था। वह लोग जा रहे थे तभी बस खाई में गिर गई। बाहर निकलकर देखा तो अमरलाल बाहर पड़ा था। अमरलाल को चोट आई थी। उसे नहीं मालूम कि किसकी गलती से बस पलटी थी। उसके बाद अमरलाल को आमला अस्पताल लेकर आए थे वहां से बैतूल लेकर गए वहां पर अमरलाल मर गया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिए थे। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में किया था जो प्र0पी0 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना स्थल पर प्र0पी0 4 का मौका नक्शा तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्न में इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 25/02/12 को आरोपी ने बस क्रमांक सी.जी. 11 सी 8792 को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर मृतक अमरलाल को टक्कर मार दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि प्रथम सूचना को उसने प्र0पी0 3 को बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र0पी0 5 को ए से ए भाग पुलिस को लेख कराया था। आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि आरोपी उसके साईड से बस चलाते हुए ले जा रहा था अचानक सामने जानवर आग गया था बचाने के प्रयास में आरोपी ने ब्रेक लगाए थे उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने तेजी व लापरवाही से वाहन नहीं चलाया था और जानबूझकर बस नहीं पलटाई थी। इस प्रकार इस गवाह

की मुख्य परीक्षा एवं सूचक प्रश्नों में आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक को वाहन बस क्रं सी. जी. 11 सी/8792 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। और यह भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चलाकर मृतक अमरलाल को ठोस मारकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

9— अभियोजन साक्षी राजू (अ0सा01), अभियोजन साक्षी सुनिता मोडा (अ0सा03), अभियोजन साक्षी तारेन्द्र (अ0सा04), अभियोजन साक्षी यशवंत (अ0सा05) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— अभियोजन साक्षी बिसनसिंह (अ0सा07) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि यह गवाह प्रधान आरक्षक है और इस गवाह ने प्रार्थी के बताए अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 3 लेखबद्ध की है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी शिवनाथ यादव (अ0सा08) घटना के समय प्र0आर0 के पद पर पदस्थ था जिसके द्वारा जीरो की मार्ग लेकर मार्ग इन्टीमेशन रिपोर्ट प्र0पी0 10 लेखबद्ध की है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी जी0पी0 रामहारिया (अ0सा09) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय ए0एस0 आई0 के पद पदस्थ था। जिसके द्वारा घटना स्थल से तथा अभियुक्त अर्जुनसिंह के बताने पर साक्षी यशवंत, गजेन्द्र के समक्ष वाहन बस क्रं सी.जी. 11 सी 8792 का सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 7 के अनुसार जप्त किया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 25/02/12 को फरियादी गुलाब के बताये अनुसार घटना नक्शा मौका प्र0पी0 4 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी गुलाबराव मोडक, सुनीता मोडक के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। अभियुक्त को साक्षी यशवंत और तारेन्द्र के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 8 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाह घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। साथ ही घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी गुलाबराव (अ0सा02) सुनिता (अ0सा03) राजू (अ0सा01) ने घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट, मार्ग इन्टीमेशन रिपोर्ट एवं विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने बस क्रमांक सी.जी.-11-सी/8792 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। उर्पयुक्त साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने उक्त बस को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक संचालित करते हुये मृतक अमरलाल को ठोस मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वध की कोटि में नहीं आती। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 1 व 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

12- उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने बस क्रमांक सी.जी.-11-सी/8792 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने उक्त बस को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक संचालित करते हुये मृतक अमरलाल को ठोस मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वध की कोटि में नहीं आती। इस प्रकार अभियुक्त अर्जुन भा0द0वि0 की धारा- 279, 304 "ए" के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13- प्रकरण में अभियुक्त के धारा 313 द0प्र0सं0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14- प्रकरण में जप्तशुदा मिनी बस क्रमांक सी.जी. 11 सी 8792 पूर्व से आवेदक/सुपुर्दार अर्जुन पिता ढोकलसिंह नि0 भीमनगर बोडखी की सुपुर्दगी में है। उक्त वाहन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

